

हुक्म या कार्यावाही मस इतिशियारस आज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो उस हुक्म की तामील  
में जारी हुए।

14/8/25 पत्रावली पेश 9 मुलान इपु  
वानि नलकी उरिवा 5 व जकाव  
उरिवा 6 दिनांक 23/10/25 को पेश  
हो

S.D.O.

इतिशियार पेश  
अभिभावक सम्बल ने कार्य  
व्यगित किया है। दिनांक 14/1/25  
को पेश हो  
S.D.O.

14/02/25  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07/5/25  
को पेश हो।

रीउर

13/8/25 पत्रावली रकनामी पेशी से पेश  
9 मुलान इपु वानि नलकी उरिवा 5  
5 व जकाव उरिवा 6 दिनांक  
23/10/25 को पेश हो

23/09/25  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/10/25  
को पेश हो।

रीउर

28/10/25 पत्रावली पेश 9 मुलान इपु  
वा. 2 वाकवा उरिवा काने पार मी  
तामीली उरिवा मी गुल्लर नही ही जारी  
रकतः पत्रावली 09/25 के उरिवा रवादिना  
ही जारी है रकतः पत्रावली वा. 2  
वाकवा न काने पार मी लक मडां हो

रीउर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील  
में जारी हुए।

हजारी बनाम गीता

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या- 02 / 14 / 2022

20.01.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजीयात् हाल खाता संख्या 1363 हाल आराजीयात् संख्या 270/0.27 है 0 किस्म चाही वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है, पर वादी के हिस्से में मुताबिक बटवारा आई आराजीयात् में कार्यकाश्त करने में आई रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे ना ही फसल बौने, काटने, लाने ले जाने में ही कोई दखलअंदाजी करे तथा अपने किसी नौकर, एजेन्ट आदि के जरिये भी किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत पैदा ना करें एवं विवादग्रस्त भूमि का दौराने दवा कोई बैयनामा दीगर व्यक्ति को मुन्तीकल कर मुन्तकीली का दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालय में दर्ज न करावे ना ही प्रतिवादी संख्या 5 कोई भी दस्तावेज पंजीबद्ध करे। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 09.03.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी व निवर्तमान कब्जेशुदा आराजीयात् पर जबाब प्रस्तुत करने तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने वाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 09.03.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ (अलवर)

राजगढ (अलवर)

राजगढ (अलवर)

राजगढ (अलवर)

09/3/22

वकील प्रार्थी उप०

तलब हो दि०

13/4/22 जो पेश हो

13/4/22

पीसीन अधिकारी अन्य कार्यों में

व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22.3.22

को पेश हो।

नम्बर व  
जो इस  
में

तारीख  
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/8/25 रजतानी पेशी के पेशी गुलाम  
उफर वाला रजतानी श्री 05 व  
पदाव पति (1) जकार 23/9/25 में  
पेशी वा 500

23/09/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में  
व्यस्त है। पत्रावली विनांक. 2-8/10/25  
को पेश हो।

रीडर

26/10/25 पनासली पेशी गुलाम 345  
युकी गुलामवा 09/12 के रजत  
स्वार्थन डीमा जा युका ही रजत  
गर्दनापन। स.स.स. 212 की 09/12-  
के रजत स्वार्थन डीमा जा ही  
देनावली काड युकी रजत रजत  
धका जका लक काड वा

*[Handwritten signature]*

0.03  
21/12/25